न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 71/22

GCMS NO 2023/15

बजरंगा पुत्र मोती जाति ब्राहम्ण निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. चेतन पुत्र मोहन लाल
2. ताराचंद पुत्र रामनिवास
3. नाथूलाल पुत्र रामनिवास
4. प्रेमलता पुत्री रामनिवास
5. बृजेश पुत्र मोहन लाल
6. मुकेश पुत्र रमेश चंद
7. मनीष पुत्र रमेश चंद
8. रतनलाल पुत्र रामनिवास
9. राधा पुत्री रमेश चंद
10. रामकोरी पत्नि रामनिवास
11. शांति पत्नि रमेश चंद
12. सीता पत्नि मोहन लाल समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 04/2020 निर्णय दिनांक 27.9.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मुकेश बंसल

दिनांक 12.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 27.9.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत [illegible] पेश किया कि आराजी ख0न0 2991 रकबा 1.12 है0, 2996 रकबा 1.99 है0, ख0न0 [illegible]62 रकबा 0.18 है0, 3164 रकबा 0.47 है0, 3369 रकबा 0.05 [illegible] रकबा 0.28 है0, 3381/5343 रकबा 0.35 है0, 3405 रकबा 0.38 है0, 3407 रकबा 0.20 है0, 3408 रकबा [illegible] है0, 4674 रकबा 0.46 है0, 4751 रकबा 0.15 है0, 4933 र[illegible] 1.33 है0, 4934/5328 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1.40 है0, 4937 रकबा 0.62 है0, 4939 रकबा 0.89 है0, 4941 रकबा 0.48 है0, 4942 रकबा 0.48 है0, 4954 रकबा 0.86 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 11.99 है0 वाके ग्राम भगवतगढ मे स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 3070 व 3069 के बीच मे होकर ख0न0 2996 मे पहुॅचते जिस पर ख0न0 3070 व 3069 की मेड पर 8 फीट चौडा रास्ता हमेशा का बना हुआ है। जिसमे से होकर आवेदक/रेस्पो0 हमेशा से अपनी काश्त तथा फसल ट्रेक्टर ट्रोली हल इत्यादि लाते ले जाते रहे है। जिसे विपक्षीगणो ने अवरूद्व कर दिया जिसे खुलासा करवाया जावे तथा विधमान रास्ते को विस्तार कर 15 फीट चौडा रास्ता खुलासा कराया जावे। प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजी ख0न0 2996 रकबा 1.99 है0 पर पहुॅचने के लिए ग्राम भगवतगढ की आराजी ख0न0 3070 की पूर्वी मेड के सहारे लघुतम दूरी है। जिसमे से रास्ता प्रदान किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय से इस प्रकार की इस्तदुआ रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि काश्तकारो के खेतो पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने का वैकल्पिक रास्ता वर्तमान मे मौजूद होने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल अपीलांट को प्राप्त नही हुई है जिसका अंकन अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर स्पष्ट अंकन है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है वह मौके पर जाकर नही बनाई गई है तहसील कार्यालय मे बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसे ही आधार बनाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है उस पर कोई गवाह के हस्ताक्षर नही है। जिससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट असत्यता है। जमाबंदी एवं वर्तमान नक्शे मे रेस्पो0 के जाने के लिए रास्ते का अंकन है। इस प्रकार जब किसी की खातेदारी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 3064 की आराजीयात वर्तमान मे रास्ते के काम मे आना बताया गया है तथा वर्तमान मे रास्ता अवरूद्व नही होना अंकित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो को अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य होने से अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि रेस्पो0 प्रार्थी की आराजीयात ख0न0 2996 रकबा 1.99 है0 पर पहुॅचने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने एवं आराजी ख0न0 3070 एवं 3069 के मध्य से लघुतम रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:07:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत किसी भूमि धारक की भूमि पर पहुँचने का कोई बेकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने पर ही प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता प्रदान किये जाने की प्रार्थना की जा सकती है। जिसकी रेस्पो/प्रार्थी द्वारा अक्षरशः पालना की जाकर निर्धारित प्रारूप मे प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता चाहा गया है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल नही कराई गई है जबकि सत्यता यह है कि अपीलांट/अप्रार्थीगण की तामिल होने के उपरान्त भी अपीलांट/अप्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नही होने के फलस्वरूप उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डी.एल.सी.दर की दुगनी राशि खातेदार को दिलवाई जाकर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। जो विधि अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो० द्वारा आराजीयात ख०न० 2996 रकबा 1.99 है० पर जाने हेतु रास्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार अदम तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 27.9.22 मे अप्रार्थी बाबजूद तामिल अनुपस्थित का अंकन है। जो विरोधाभासी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे रास्ते के रूप मे ख०न० 3064 को काम आना एवं वर्तमान मे रास्ता चालू होना तथा रास्ता अवरूद्व नही होने का अंकन है। इस प्रकार जब भूमि धारक/जोत धारक की भूमि पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत रास्ता प्रदान नही किया जा सकता है। पत्रावली मे संलग्न वर्तमान नक्शा ट्रेस मे भी रास्ते का अंकन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो अपास्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 04/20 निर्णय दिनांक 27.9.22 को निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.9.22 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे किये गये समस्त इन्द्राज शून्य घोषित किये जाते है। यदि भू प्रबंध विभाग कार्यवाही से पूर्व नक्शे मे रास्ते का इन्द्राज होतो भू प्रबंध विभाग एवं आराजी ख०न० 3064 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर पुनः रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी/रेस्पो० ...
निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखाया ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner